न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 22/2019

बउनवानः–

1. अरूण मीणा पुत्र श्री रामकल्याण जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राममूर्ति बाई पत्नि श्री रामकल्याण जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील मांगरोल

...वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 136, एल0आर0एक्ट0

वकील वादीगण : श्री मनोज कुमार आर्य

निर्णय दिनांक : 06.01.2021

दायरा दिनांकः 01.10.2019

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी की वादीगण के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 25 खसरा नं0 84 रकबा 2.37 है0, खसरा नं0 552 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 रकबा 2.41 है0 व खाता संख्या 112 खसरा नं0 71 रकबा 2.03 है0, खसरा नं0 99 रकबा 3.18 है0, खसरा नं0 550 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 556 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 557 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 563 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 672 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 683 रकबा 0.20 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 6.50 है0 वाके ग्राम बोरदा तहसील मांगरोल में स्थित है जमाबंदी सम्वत 2071–74 जिसमें वादीगण का हिस्सा मुताबिक खाता निहित है। वादी कम 1 का वास्तविक नाम अरूण मीणा है तथा वादी कम 2 का नाम राममूर्ति है किन्तु जमाबंदी में सहवन से वादी कम 1 का नाम अरूण मीणा पुत्र रामकल्याण के स्थान पर हरिओम पुत्र रामकल्याण, राममूर्ति बाई पत्नि रामकल्याण के स्थान पर मूर्तिबाई पत्नि रामकल्याण दर्ज हो रहा है। जिसको दुरूस्त करवाने के वादीगण कानूनी अधिकारी है। वादीगण के अन्य दस्तावेज मतदाता, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड व स्कूल प्रमाण पत्र में भी वादी कम 1 का नाम अरूण मीणा पुत्र रामकल्याण व वादी कम 2 का नाम राममूर्तिबाई पत्नि रामकल्याण ही दर्ज है। इसलिए वादीकम 1 राजस्व रेकार्ड में अपना नाम हरिओम पुत्र रामकल्याण के स्थान पर अरूण मीणा पुत्र रामकल्याण व वादी कम 2 मूर्तिबाई पत्नि रामकल्याण के स्थान पर राममूर्ति बाई पत्नि रामकल्याण दर्ज करवाने की घोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः निवेदन [illegible] राजी खाता संख्या 25 खसरा नं0 84 रकबा 2.37 है0, खसरा नं0 552 रकबा 0.04 है0 [illegible] है0 व खाता संख्या 112 खसरा नं0 71 रकबा 2.03 है0, खसरा नं0 99 रकबा [illegible] 0.09 है0, [illegible] नं0 556 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 557 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 56[illegible] रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 [illegible] रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 683 रकबा 0.20 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 6.50 है0 वाके ग्राम बोरदा तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.02.03 12:33:14 IST
Reason: SelfAttested

मांगरोल में स्थित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी कम 1 का नाम हरिओम पुत्र रामकल्याण के स्थान पर अरूण मीणा पुत्र रामकल्याण व वादी कम 2 मूर्तिबाई पत्नि रामकल्याण के स्थान पर राममूर्ति बाई पत्नि रामकल्याण दुरूस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 01.10.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार भी है को रिपोर्ट हेतु तबल किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र कमांक/भू0अ0/20/272 दिनांक 21.01.2020 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम बोरदा खाता संख्या 26 किता 3 रकबा 2.41 है0, में खातेदार राममूर्ति पत्नि स्व0 रामकल्याण हिस्सा 1/60 जाति मीणा सा0 देह एवं खातेदार हरिओम पुत्र रामकल्याण हिस्सा 1/16 जाति मीणा सा0 देह के नाम दर्ज है। एवं खाता 211 किता 7 रकबा 1.81 है0 में खातेदार मूर्तिबाई पत्नि स्व0 रामकल्याण हिस्सा 1/2 जाति मीणा सा0 देह राहिन हिस्सा 1/2 खसरा नं0 550, 557 व 563 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक शाखा मांगरोल व नाबालिग हरिओम पुत्र रामकल्याण संरक्षक सरपरस्त माता हि0 1/2 दर्ज रेकार्ड है। दोनो खातेदारों का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज है। तथा दोनो ख़ातेदारों के अन्य दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, में अरूण मीणा पुत्र रामकल्याण व राममूर्ति पत्नि रामकल्याण मीणा दस्तावेजो में दर्ज है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। वकील वादी की दिनांक 06.01.2021 को एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया जिनका उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि से भी वादी कम 1 का नाम अरूण मीणा पुत्र रामकल्याण व वादी कम 2 का नाम राममूर्ति बाई पत्नि रामकल्याण जाति मीणा होना जाहिर होता है। अतः तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात व दिनांक 06.01.2021 को अधिवक्ता वादीगण की सुनी गयी बहस के आधार पर ग्राम बोरदा खाता संख्या 26 किता 3 रकबा 2.41 है0, खाता 211 किता 7 रकबा 1.81 है0 की राजस्व जमाबंदी में वादी कम 1 का नाम हरिओम पुत्र रामकल्याण के स्थान पर हरिओम उर्फ अरूण मीणा पुत्र रामकल्याण व वादी कम 2 मूर्तिबाई पत्नि रामकल्याण के स्थान पर राममूर्ति बाई पत्नि रामकल्याण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.02.03 12:33:14 IST
Reason: SelfAttested